MODEL ANSWER

Q. Critically analyze the constitutional provisions and implications of the imposition of President's Rule under Article 356 in India.

Article 356 of the Indian Constitution allows the President to impose **President's Rule** in a state if its **constitutional machinery breaks down**. While intended as a safeguard, its **historical misuse** has raised concerns regarding **federalism, democracy, and political centralization**. Despite judicial interventions, its implementation remains contentious.

Under President's Rule, the President assumes the executive powers of the state government, including those of the Governor and other state authorities. The President can also declare that the state legislature's powers will be exercised by Parliament and suspend constitutional provisions related to any state body or institution. This effectively places the state's governance under the direct control of the central government.

The imposition of President's Rule significantly impacts state governance by dismissing the Council of Ministers, with administration being handled by the Governor. The State Legislative Assembly may be suspended or dissolved, shifting legislative functions to Parliament, which enacts laws, passes bills, and approves budgets for the state. The President can also issue ordinances and approve financial expenditures from the state's Consolidated Fund when Parliament is not in session.

Implications of President's Rule

- **Federalism vs. Centralization**
  - **Weakens State Autonomy**: Frequent imposition reduces the authority of **elected state governments** and enhances centralization.
  - **Governor's Discretion is Often Politicized**: Governors have acted in a **partisan manner**, recommending President's Rule to benefit ruling parties at the Centre.
  - **However, it appears justified in extreme cases**. For instance, it turns essential in situations of **severe breakdown** of governance, such as ethnic violence (e.g., Manipur 2024).
- **Democratic Concerns**
  - **Bypasses Electoral Mandate**: **Dismissal of an elected government** without strong justification erodes **democratic principles**.
  - **Voter Disillusionment**: Frequent interventions by the Centre **weaken public faith in electoral democracy**.
- **Political Misuse and Precedents**
  - **Indira Gandhi Era (1970s-80s)**: Historically, President's Rule was often misused to dismiss opposition-led state governments (e.g., Kerala 1959, Karnataka 1971). However, judicial interventions, particularly after S.R. Bommai v. Union of India (1994), have restricted its arbitrary use, strengthening constitutional federalism. In recent instances, the Supreme Court overturned its imposition in Arunachal Pradesh (2016) for lack of valid grounds and revoked it within 72 hours in Maharashtra (2019).

To prevent the misuse of Article 356, it is essential to implement stronger constitutional safeguards. Judicial oversight should be enhanced by allowing courts to preemptively review the Governor's recommendations before imposing President's Rule. Additionally, the term 'breakdown of constitutional machinery' must be clearly defined within the Constitution to prevent arbitrary

dismissals of state governments. Ensuring the neutrality of Governors is also crucial, as they must act independently of political pressures, with strict accountability mechanisms in place to avoid partisan decisions.

Before resorting to President's Rule, the central government should explore alternative measures such as providing financial or administrative support to help the state government restore stability. This would ensure that Article 356 remains a last resort rather than a tool for political intervention. By adopting such reforms, India can strengthen its federal structure and uphold the spirit of democracy while maintaining governance stability.

Samyak
An Institute For Civil Services

प्रश्न: भारत में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने के संवैधानिक प्रावधानों और निहितार्थों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। हालांकि यह प्रावधान संविधान की रक्षा के लिए लाया गया था, लेकिन इसके ऐतिहासिक दुरुपयोग ने संघवाद, लोकतंत्र और राजनीतिक केंद्रीकरण के बारे में चिंताएँ पैदा की हैं। न्यायिक हस्तक्षेप के बावजूद, इसका कार्यान्वयन विवादास्पद बना हुआ है।

राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत, राष्ट्रपति राज्यपाल तथा अन्य राज्य प्राधिकरणों सहित सम्पूर्ण राज्य सरकार की कार्यकारी शक्तियों को अपने अधिकार में ले लेते हैं। राष्ट्रपति यह भी घोषणा कर सकते हैं कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा तथा किसी भी राज्य निकाय या संस्था से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित किया जा सकता है। इसका परिणाम यह होता है कि राज्य का संपूर्ण प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाता है।

राष्ट्रपति शासन लागू होने पर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है, जिससे राज्य के प्रशासन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति में शासन का संचालन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य विधानसभा को निलंबित या भंग किया जा सकता है, जिससे विधायी कार्यों का दायित्व संसद को सौंप दिया जाता है। संसद विधि निर्माण, विधेयकों की स्वीकृति एवं राज्य के बजट को मंजूरी देने का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं तथा संसद सत्र में न होने की स्थिति में राज्य के समेकित कोष से वित्तीय व्यय की स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं।

राष्ट्रपति शासन के निहितार्थ

- **संघवाद बनाम केंद्रीकरण**
  - **राज्य की स्वायत्तता को कमजोर करता है:** बार-बार लागू होने से निर्वाचित राज्य सरकारों के अधिकार कम हो जाते हैं और केंद्रीकरण बढ़ जाता है।
  - **राज्यपाल के विवेक का अक्सर राजनीतिकरण किया जाता है:** राज्यपालो पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य कर सकते है एवं केंद्र में सत्तारूढ़ दलों को लाभ पहुंचाने हेतु राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं।
  - हालांकि, कुछ परिस्थितियों में यह उचित भी प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए, शासन के गंभीर विघटन की स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है, जैसे जातीय हिंसा (उदाहरण: मणिपुर, 2024)।
- **लोकतांत्रिक चिंताएँ**
  - **चुनावी जनादेश को दरकिनार करना:** बिना किसी ठोस औचित्य के निर्वाचित सरकार को बर्खास्त करना लोकतांत्रिक सिद्धांतों को नष्ट कर देता है।
  - **मतदाता का विश्वास कमजोर होता है:** केंद्र द्वारा बार-बार हस्तक्षेप करने से चुनावी लोकतंत्र में जनता का विश्वास कमज़ोर होता है।
- **राजनीतिक दुरुपयोग और मिसालें**
  - **इंदिरा गांधी का युग (1970-80 का दशक):** ऐतिहासिक रूप से, राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग अक्सर विपक्ष के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए किया जाता था (उदाहरण: केरल, 1959; कर्नाटक, 1971)। हालाँकि, विशेष रूप से *एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)* मामले के बाद न्यायिक हस्तक्षेप ने इसके मनमाने उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे संवैधानिक संघवाद को बल मिला। उदाहरण के तौर पर, सर्वोच्च न्यायालय ने वैध आधारों की अनुपस्थिति के कारण *अरुणाचल प्रदेश (2016)* में राष्ट्रपति शासन को रद्द कर दिया, और *महाराष्ट्र (2019)* में इसे 72 घंटों के भीतर ही समाप्त कर दिया था।

अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुदृढ़ संवैधानिक सुरक्षा उपायों को लागू करना आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन लागू करने से पूर्व राज्यपाल की सिफारिशों की समीक्षा की न्यायिक अनुमति देकर न्यायिक निगरानी को सशक्त किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, संविधान में *'संवैधानिक तंत्र के विघटन'* की स्पष्ट परिभाषा दी जानी चाहिए ताकि राज्य सरकारों की मनमानी बर्खास्तगी रोकी जा सके। राज्यपालों की निष्पक्षता सुनिश्चित करना भी आवश्यक है, जिसके लिए उन्हें सख्त उत्तरदायित्व तंत्र के अंतर्गत रखा जाए, ताकि वे राजनीतिक दबावों से मुक्त होकर निष्पक्ष निर्णय ले सकें।

राष्ट्रपति शासन लागू करने से पूर्व, केंद्र सरकार को राज्य सरकार को स्थिरता बहाल करने में सहायता हेतु वित्तीय या प्रशासनिक सहयोग जैसे वैकल्पिक उपायों पर विचार करना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अनुच्छेद 356 राजनीतिक हस्तक्षेप का साधन न बनकर केवल अंतिम विकल्प ही रहे। ऐसे सुधारों को अपनाकर, भारत अपने संघीय ढांचे को सुदृढ़ कर सकता है और शासन की स्थिरता बनाए रखते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कर सकता है।

Samyak
An Institute For Civil Services